## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103001342016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—43 / 16</u> संस्थापित दिनांक—10.02.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—दिलीप पुत्र दीपचंद कोली उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम् बड़ापुरा प्राणपुर थाना चंदेरी।
आरोपी
राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :— श्री जाफरी अधिवक्ता।

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 03.02.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी राजकुमारी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी राजकुमारी ने दिनांक 25.01.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह घर के बाहर झाडू लगा रही थी तब दिलीप एकदम से आया और बुरी नीयत से उसका दांया हाथ पकडकर खींच लिया। जब वह चिल्लाई तो घर के अंदर से उसका पित घनश्याम एवं पडोस के बसंत कोली व संजीव कोली आ गए फिर दिलीप हाथ छोड़कर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 44/16 के अंतर्गत भादिव की धारा 354, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.01.16 को समय दिन के 03.30 बजे ग्राम बड़ापुरा प्राणपुर स्थित फरियादी के घर के बाहर थाना चंदेरी में फरियादिया राजकुमारी जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 राजकुमारी की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 राजकुमारी ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा बुरी नीयत से फरियादी के हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा गया था।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)